न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र/सरफेसी एक्ट/2024/55

ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि.(पूर्व में ए यू फाईनेन्सेरस इण्डिया लि.) रजि. ऑफिस–19 ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मानसिहं मीणा

......प्रार्थी

बनाम

1. सुघड सिहं पुत्र नत्थी सिहं
2. श्रीमती सुनीता पत्नी सुघड सिहं

} निवासी–कैलूरी, रौनीजा, नदवई, भरतपुर

.......अप्रार्थीगण/ऋणी/सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात 'एक्ट' से संबोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 23.08.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियन 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 31.01.2023 को राशि रू. 2,20,000/–(शब्देन दो लाख बीस हजार रू. मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा लिये गये ऋण को समय पर नहीं चुकाये जाने के कारण ऋण के एवज में प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति स्थित पट्टा नं0 59 खसरा नं0 341 का भाग, गॉव कैलूरी, ग्राम पंचायत रौनीजा, पंचायत समिति नदवई सरकारी स्कूल, तहसील नदबई, जिला भरतपुर में स्थित भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 213.33 वर्गगज है, पर भौतिक कब्जा दिलाये जाने एवं पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु पेश किया गया है।

2.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रार्थना पत्र/सरफेसी एक्ट/2024/55
ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि.बनाम सुघड सिंह वगै0

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी. की अचल सम्पत्ति स्थित पट्टा नं0 59 खसरा नं0 341 का भाग, गॉव कैलूरी, ग्राम पंचायत रौनीजा, पंचायत समिति नदवई सरकारी स्कूल, तहसील नदवई, जिला भरतपुर में स्थित भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 213.33 वर्गगज है, जो कि ऋणी/सहऋणी के स्वामित्व में है को वंधक रखी जाकर बैंक के हक में वंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। जिसके एवज में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 31.01.2023 को राशि रू. 2,20,000/–(शब्देन दो लाख बीस हजार रू. मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा वंधक अभिलेखानुसार ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 09.03.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग 60 दिन में, बकाया ऋण राशि 2,25,372/– (शब्देन दो लाख पच्चीस हजार तीन सौ बहत्तर रू. मात्र) एवं दिनांक 11.03.2024 तक की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे लागत इत्यादि जमा कराये जाने हेतु दिनांक 13.03.2024 को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया है, जो दिनांक 20.03.2024 को अप्रार्थी. को डिलीवर्ड/प्राप्त हो गया है। साथ ही दिनांक 13.07.2024 के दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया। परन्तु अप्रार्थी/ऋणी द्वारा निर्धारित समयावधि 60 दिवस समाप्त होने के पश्चात भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अभिलेख निष्पादित करते समय बैंक के हक में वंधक रखी गई आवासीय अचल सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में भौतिक कब्जा दिलाया जाना उचित पाते हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर

3.....

प्रार्थना पत्र/सरफेसी एक्ट/2024/86
ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि.बनाम सुघड सिहं वगै0

अतः आदेश है कि:–

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण लेते समय प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई आवासीय अचल सम्पति स्थित पट्टा नं0 59 खसरा नं0 341 का भाग, गॉव कैलूरी, ग्राम पंचायत रौनीजा, पंचायत समिति नदबई सरकारी स्कूल, तहसील नदबई, जिला भरतपुर में स्थित भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 213.33 वर्गगज है, जो कि सुघड सिहं पुत्र नत्थी सिहं के स्वामित्व में है, जिसका बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था, का भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को प्रतिनिधि के रूप में इस शर्त के अध्यधीन अधिकृत किया जाता है कि सम्बन्धित ऋण खाते में सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत किसी अन्य न्यायालय में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता कि प्रार्थी बैंक द्वारा भौतिक कब्जा लेते समय प्रार्थी बैंक के स्वयं के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर